रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240469 CG-DL-E-23112022-240469

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 740] No. 740] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2022/अग्रहायण 1, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2022/AGRAHAYANA 1, 1944

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 831(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458, धारा 459 और धारा 469 के साथ पठित धारा 247 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) संशोधन नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के, उप नियम (2) में,-
- (i) खंड (ग) में, "अपात्र" शब्द के स्थान पर "पात्र" शब्द रखा जाएगा;
- (ii) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(च) वह एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन का सदस्य नहीं है:

परंतु यह कि यह एक निश्चित समय पर ऐसे एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन का सदस्य नहीं होगा:

7742 GI/2022 (1)

परंतु यह और कि कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) संशोधन नियम, 2022 के प्रारंभ की तारीख को भागीदारी अस्तित्व या कंपनी जो पहले से ही मूल्यांकक रजिस्ट्रीकृत हो रखी है, ऐसे प्रारंभ के छह महीने के भीतर इस खंड के अधीन निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेंगे।"।

- 3. उक्त नियमों में, नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "7क. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा प्राधिकरण को वैयक्तिक ब्यौरे आदि में परिवर्तन की सूचना।- एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, वैयक्तिक ब्यौरे, या भागीदारों या निदेशकों की संरचना में किसी परिवर्तन, या भागीदारी करार या संगम ज्ञापन के किसी खंड में कोई संशोधन, जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रजिस्ट्रीकरण को प्रभावित कर सकता है, के लिए उपाबंध V के अधीन सारणी-I के अनुसार शुल्क के भुगतान के बाद प्राधिकरण को सूचित करेगा।
- 4. उक्त नियमों के, नियम 8 में, परंतुक में, खंड (क) में, "मानक" शब्द के स्थान पर, "मानक; या" शब्द रखे जाएंगे।
- 5. उक्त नियमों में, नियम 14 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "14क. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठनों द्वारा प्राधिकरण को शासी बोर्ड की संरचना आदि में परिवर्तन की सूचना।- एक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन अपने शासी बोर्ड, या अपनी समितियों या अपीलीय पैनल की संरचना या अन्य विवरणों में परिवर्तन के लिए, उपाबंध V के अधीन सारणी-II के अनुसार शुल्क के भगतान के बाद प्राधिकरण को सुचित करेगा।"।
- 6. उक्त नियमों के, उपाबंध Ⅲ के, भाग 2 के, क्रम सं.XI में, सदस्यता अभ्यर्पण और सदस्यता से निष्कासन से संबंधित, खंड 26 में, उप खंड (1) में, मद (ख) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
- **"स्पष्टीकरण.-** संदेह को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कंपनी में किसी सदस्य का पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कार्य करना इस खंड के प्रयोजन के लिए रोजगार प्राप्त करने के रूप में नहीं माना जाएगा।"।
- 7. उक्त नियमों के , उपाबंध IV में, विद्यमान टिप्पण को टिप्पण-1 के रूप में क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार से क्रमांकित किये गये टिप्पण-1 पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
- "टिप्पण 2: परिसंपत्ति वर्गों 'संयंत्र और मशीनरी' और 'भूमि और भवन' के मामले में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी अधिसूचना संख्या फा. सं. 27/ आरआईएफडी/पे/01/2017-18 तारीख 28 अप्रैल, 2017 में उल्लिखित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की शाखाओं से संबंधित प्रासंगिक नामकरण, पर भी विचार किया जाएगा।"।
- 8. उक्त नियमों के, उपाबंध-IV के पश्चात्, निम्नलिखित उपाबंध को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

# "उपाबंध-V (नियम 7क और 14क देखें) सारणी-I

(रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के ब्यौरे में परिवर्तन के लिए प्राधिकरण को देय शुल्क):

क्र.सं.	परिवर्तन का विवरण	शुल्क (रुपये में)*	
(1)	(2)	(3)	
		व्यैक्तिक	अस्तित्व
		(i)	(ii)
1.	संप्रेषण का विवरण जैसे नाम, पता, इ-मेल आदि	250/-	500/-
2.	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन की सदस्यता का स्थानांतरण	500/-	1,000/-
3.	कंपनी में या भागीदारी अस्तित्व में बोर्ड या भागीदारों में संरचना में परिवर्तन,	शून्य	2,000/-
	जैसा भी मामला है।	·	
4.	कंपनी के संगम ज्ञापन या भागीदारी अस्तित्व के भागीदार करार में परिवर्तन,	शून्य	2,000/-

	जैसा भी मामला हो।		
5	अन्य विवरण	250/-	500/-

<sup>\*</sup> इसके अतिरिक्त वस्तु तथा सेवा कर/ अन्य कर जो भी लागू हो

## सारणी-॥

[रजिस्ट्रीकृत मुल्यांकक संस्था के ब्यौरे में बदलाव के लिए प्राधिकरण को देय शुल्क]:

क्र.सं. (1)	परिवर्तन का विवरण (2)	शुल्क (रुपये में) (3)
1.	आरवीओ के शासी बोर्ड की संरचना	5,000/-
2.	आरवीओ के प्रबंधन निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	2,000/-
3.	आरवीओ का नाम	10,000/-
4.	आरवीओ के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता	2,000/-

<sup>\*</sup>इसके अतिरिक्त वस्तु एवं सेवा कर/अन्य कर जो भी लागू हो।"।

[फा. सं. 1/27/2013-सीएल-V (भाग)]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1316(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक सा.का.नि. 155(अ), तारीख 9 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 559(अ), तारीख 13 जून, 2018, सा.का.नि. 925(अ), तारीख 25 सितंबर, 2018 और सा.का.नि 1108(अ), तारीख 13 नवंबर, 2018 द्वारा उनमें पश्चातवर्ती संशोधन किया गया था।

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st November, 2022

- **G.S.R. 831(E).**—In exercise of the powers conferred by section 247 read with sections 458,459 and 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Companies (Registered Valuers and Valuation) Amendment Rules, 2022.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 (hereafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub-rule (2),-
- (i) in clause (c), for the word "ineligible", the word "eligible" shall be substituted;
- (ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-
- "(f) it is not a member of a registered valuers organisation:

Provided that it shall not be a member of more than one such registered valuers organisation at a given point of time:

Provided further that the partnership entity or company, already registered as valuers, on the date of commencement of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Amendment Rules, 2022, shall comply within six months of such commencement with the conditions specified under this clause."

- 3. In the said rules, after rule 7, the following rule shall be inserted, namely:-
- "7A. Intimation of changes in personal details etc., by registered valuer to authority. A registered valuer shall intimate the authority for change in the personal details, or any modification in the composition of partners or

directors, or any modification in any clause of the partnership agreement or Memorandum of Association, which may affect registration of registered valuer, after paying fee as per the Table -I in Annexure V.".

- 4. In the said rules, in rule 8, in the proviso, in clause (a), for the word, "standards;", the words, "standards; or" shall be substituted.
- 5. In the said rules, after rule 14, the following rule shall be inserted, namely:-
- "14A. Intimation of changes in composition of governing board, etc. by the registered valuers organisations to the authority.- A registered valuers organisation shall intimate the authority for change in composition of its governing board, or its committees or appellate panel, or other details, after payment of fee as per the Table II in Annexure V.".
- 6. In the said rules, in Annexure-III, in Part II, in serial number XI, relating to SURRENDER OF MEMBERSHIP AND EXPULSION FROM MEMBERSHIP, in clause 26, in sub-clause (1), in item (b), the following *Explanation* shall be inserted, namely:-
- "Explanation.- For the removal of doubts, it is hereby clarified that a member functioning as a whole time director in the company registered as valuer shall not be treated as taking up employment for the purpose of this provision.".
- 7. In the said rules, in Annexure IV, the existing Note shall be numbered as Note 1 thereof, and after the Note 1, as so numbered, the following Note shall be inserted, namely:-
- "Note 2: In case of asset classes namely, the 'plant and machinery' and 'land and building', the corresponding relevant nomenclature for the branches of the engineering and technology of graduate and post-graduate courses referred to in the notification number F. No. 27/RIFD/Pay/01/2017-18, dated the 28th April, 2017, issued by the All India Council for Technical Education, shall also be considered."
- 8. In the said rules, after Annexure-IV, the following Annexure shall be inserted, namely:-

#### "ANNEXURE-V

### (See rule 7A and 14A)

#### **TABLE-I**

(Fees to be paid to the authority for change in details of a registered valuer):

Sl.No.	Particulars of Change	Fee (in rupees.)*	
(1)	(2)	(3)	
		Individual	Entity
		(i)	(ii)
1.	Communication details like Name, Address, e-mail etc,.	250/-	500/-
2.	Transfer of membership of Registered Valuers Organisation.	500/-	1,000/-
3.	Change in composition of Board of Directors, or partners, in the company or partnership entity, as the case may be.	Nil	2,000/-
4.	Change in Memorandum of Association of company or partnership agreement of the partnership entity, as the case may be.	Nil	2,000/-
5.	Any other details	250/-	500/-

<sup>\*</sup> plus Goods and Services Tax/other taxes as may be applicable.

### TABLE-II

[Fees to be paid to the authority for change in details of a registered valuers organisation (RVO)]:

Sl	Particulars of change	Fee (in rupees)*
No.		
(1)	(2)	(3)
1.	Composition of Governing Board of an RVO	5,000/-
2.	Chief Executive Officer/ Managing Director of an RVO	2,000/-

3.	Name of an RVO	10,000/-
4.	Registered Office address of an RVO	2,000/-

<sup>\*</sup> plus Goods and Services Tax/other taxes as may be applicable.".

[F. No. F.No.1/27/2013-CL-V(Part)]]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, G.S.R. 1316(E), dated the 18<sup>th</sup> October, 2017 and subsequently amended , *vide*, G.S.R. 155 (E), dated the 9<sup>th</sup> February, 2018, G.S.R. 559 (E), dated the 13<sup>th</sup> June, 2018, G.S.R. 925(E), dated the 25<sup>th</sup> September, 2018 and G.S.R. 1108(E), dated the 13<sup>th</sup> November, 2018.